न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
71 / 2025	15 / 10 / 2025	19/01/2026

01. अंकित मीणा आयु 21 वर्ष पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
02. सुमित मीणा आयु 16 वर्ष अवयस्क पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा जरिये संरक्षिका माता सीमाबाई पत्नि श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

01. श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल पुत्र चन्दालाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री कमल कुमार बंसल एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– स्वयं।

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डूगरली पटवार हल्का डुगंरली तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज०) के माल मे खसरा संख्या 946 / 392 रकबा 0.95है., खसरा संख्या 948 / 778 रकबा 0.06 है., खसरा संख्या 950 / 601 रकबा 0.44 है. कुल 3 किता की 1.45 है. तथा ग्राम डूंगरली पटवार हल्का डुगंरली तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज०) के माल मे खसरा संख्या 144 रकबा 0.05है., खसरा संख्या 401 रकबा 1.12है., खसरा संख्या 51 रकबा 0.64 है., खसरा संख्या 52 रकबा 0.36 है., खसरा संख्या 95 रकबा 2.27 है., खसरा संख्या 99 रकबा 0.33है.. कुल कित्ता 6 कुल रकबा 4.77 है., भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त भूमि कहा गया है। प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण का पिता है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पुर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई होने से वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से वादीगण का वादग्रस्त भूमि मे जन्म से ही सहदायिक हित निहित है। वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध अपने निहित हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में से उनके निहित हिस्से की भूमि मे से खसरा संख्या 950 / 601 रकबा 0.44है. अन्यत्र बेचान की जा चुकी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे से 0.44है. भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से मे से मुजरा किये जाने योग्य है। वादीगण अपने निहित हिस्से के अनुरूप विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है किन्तु वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित नही होने से प्रतिवादी क्रम 1, वादीगण को वादग्रस्त भूमि मे उनके सहदायिक हित की भूमि से वंचित करने पर यथाशक्य आमादा है। ऐसी दशा मे वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वे माननीय न्यायालय की सहायता से वादग्रस्त भूमि मे स्वयं के निहित हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा करवायें। तदर्थ वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि मे उनके निहित 1/3, 1/3 हिस्से की भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी क्रम 2 से निवेदन किया गया तो उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने की हिदायत की गई जिस पर वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद प्रस्तुत करना पडा है । वाद कारण दिनांक 23.09.2025 को वादीगण द्वारा उनके हिस्से की भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से निवेदन करने पर तथा उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष मे, विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय का निर्णय एवम् डिक्री पारित करने की कृपा करें प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से मे से 0.44है. भूमि मुजरा की जाकर वादग्रस्त भूमि मे वादी क्रम 1 को 1/3 हिस्से की भूमि का तथा वादी क्रम 2 को 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख, इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावें। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिऐ प्रतिनिधि 1 वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के शांतिपूर्ण कृषि कार्य मे किसी भी प्रकार की बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न नही करे।

वादी की ओर से वाद श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वादी दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डूंगरली पटवार हल्का डुगंरली तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज०) के माल मे खसरा संख्या 946/392 रकबा 0.95है., खसरा संख्या 948/778 रकबा 0.06 है., खसरा संख्या 950/60: रकबा 0.44 है. कुल 3 किता की 1.45है. तथा ग्राम डूगरली पटवार हल्का डुगंरली तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज०) के माल मे खसरा संख्या 144 रकबा 0.05है., खसरा संख्या 401 रकबा 1. 12है., खसरा संख्या 51 रकबा 0.64 है., खसरा संख्या 52 रकबा 0.36है., खसरा संख्या 95 रकबा 2.27है., खसरा संख्या 99 रकबा 0.33है., कुल किता 6 कुल रकबा 4.77है., भूमि स्थित है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मं दर्ज है। जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पुर्वजो से विरासत मे प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से वादीगण का जन्म से ही विवादित भूमि मे सहदायिक हित निहित है। आपसी समझाइश तथा लोक न्यायालय की प्रेरणा से वादी तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का समझौता कर लिया गया है जो निम्न प्रकार से है

(1) अंकित मीणा पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के हिस्से में आई भूमि :– खसरा संख्या 946/392 रकबा 0.95है., खसरा संख्या 948/778 रकबा 0.08है., खसरा संख्या 95 रकबा 2.27 है. , मे से दक्षिण दिशा की 1.36है., कुल 3 किता की 2.37है. कृषि भूमि

(2) सुमित मीणा अवयस्क पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा जरिये संरक्षिका माता सीताबाई पत्नि श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के हिस्से में आई भूमि :–खसरा संख्या 401 रकबा 1.12है., खसरा संख्या 99 रकबा 0.33 है., खसरा संख्या 95 रकबा 2.27है. मे से उत्तर दिशा की 0.91 है., कुल 3 किता की 2.36है. कृषि भूमि

(3) श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल पुत्र चन्दालाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के हिस्से में आई भूमि :– खसरा संख्या 144 रकबा 0.05है. , खसरा संख्या 51 रकबा 0.64है., खसरा संख्या 52 रकबा 0.36है., कुल 3 किता की 1. 05है. कृषि भूमि

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत वाद का बरुवे राजीनामा निर्णय एवम् डिक्री पारित कर राजीनामा अनुसार भूमि खाते मे दर्ज करने हेतु तहसीलदार पीपल्दा को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

राजीनामा तस्दीक किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी कम 1 अंकित मीणा पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के हिस्से में आई भूमि :– खसरा संख्या 946/392 रकबा 0.95है., खसरा संख्या 948/778 रकबा 0.06है., खसरा संख्या 95 रकबा 2.27 है., मे से दक्षिण दिशा की 1.36है., कुल 3 किता की 2.37है. कृषि भूमि, वादी क्रम 2 सुमित मीणा अवयस्क पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा जरिये संरक्षिका माता सीताबाई पत्नि श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के हिस्से में आई भूमि खसरा संख्या 401 रकबा 1.12है., खसरा संख्या 99 रकबा 0.33 है., खसरा संख्या

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

95 रकबा 2.27है. मे से उत्तर दिशा की 0.91 है., कुल 3 किता की 2.36है. कृषि भूमि, प्रतिवादी कम 1 श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल पुत्र चन्दालाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के हिस्से में आई भूमि खसरा संख्या 144 रकबा 0.05है., खसरा संख्या 51 रकबा 0.64है., खसरा संख्या 52 रकबा 0.36है., कुल 3 किता की 1.05है., कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जावे।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक इटावा

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
71 / 2025	15 / 10 / 2025	19/01/2026

01. अंकित मीणा आयु 21 वर्ष पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
02. सुमित मीणा आयु 16 वर्ष अवयस्क पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा जरिये संरक्षिका माता सीमाबाई पत्नि श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

01. श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल पुत्र चन्दालाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार बंसल एड०।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– स्वयं।

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी कम 1 अंकित मीणा पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के हिस्से में आई भूमि :– खसरा संख्या 946 / 392 रकबा 0.95है., खसरा संख्या 948 / 778 रकबा 0.06है., खसरा संख्या 95 रकबा 2.27 है., मे से दक्षिण दिशा की 1.36है., कुल 3 किता की 2.37है. कृषि भूमि, वादी कम 2 सुमित मीणा अवयस्क पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा जरिये संरक्षिका माता सीताबाई पत्नि श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के हिस्से में आई भूमि खसरा संख्या 401 रकबा 1.12है., खसरा संख्या 99 रकबा 0.33 है., खसरा संख्या 95 रकबा 2.27है. मे से उत्तर दिशा की 0.91 है., कुल 3 किता की 2.36है. कृषि भूमि, प्रतिवादी कम 1 श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल पुत्र चन्दालाल जाति मीणा निवासी ग्राम डुंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के हिस्से में आई भूमि खसरा संख्या 144 रकबा 0.05है., खसरा संख्या 51 रकबा 0.64है., खसरा संख्या 52 रकबा 0.36है., कुल 3 किता की 1. 05है., कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 19/01/2026 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया ज़ाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)